



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: ११ – उनिलि / रिफार्म / विनियम(३५१(बी)) : १८८.३० – १७.०९.२० / २०२०

दिनांक ०९ अक्टूबर, २०२०

कार्यालय ज्ञाप

निगम के आर्टिकल ३५१ एफ एसोसिएशन में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक १७ सितम्बर, २०२० को सम्पन्न १८८वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या – १८८.३० में निम्नवत् निर्णय पारित किये गये:-

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा उनके सेवा-काल में की गई अनियमितताओं हेतु विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार पेंशन रोके जाने/कटौती किये जाने/प्रत्यापि किये जाने के सम्बन्ध में, निगम में पूर्व से प्रभावी सिविल सर्विसेस रूल्स के अनुच्छेद -३५१(ए) के क्रम में विभाग को हुई आर्थिक क्षति की प्रत्यापि हेतु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिविल सर्विसेस रूल्स के अनुच्छेद -३५१(बी) को निगम में निम्नवत् अंगीकृत किया जाता है—

“351-B. In case in which a pension is not withheld or withdrawn under Article 351-A but the amount of any pecuniary loss caused to Government is ordered to be recovered from the pension, the recovery should not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the gross pension originally sanctioned including any amount which may have been commuted”

२— उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा-काल में की गई अनियमितताओं हेतु विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार पेंशन रोके जाने/कटौती किये जाने/प्रत्यापि किये जाने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: १ – उनिलि / रिफार्म / विनियम(३५१(बी)) : १८८.३० – १७.०९.२० / २०२० तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
- मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/स्तर-२) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झौंसी, कानपुर, अलीगढ़, एटा।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१ एवं २), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन लखनऊ।

6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक १७ सितम्बर, २०२० को सम्पन्न १८८वीं में प्रस्तुत आइटम संख्या -१८८.३० में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-०१/०३/०४/०५) /उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-०२) /अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई) /उप महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-४६/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

*Omprakash Jain
२०२०*
 (तरुण कुमार जैन)
 अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)